

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 01344 / 2023

रूपक कुमार झां

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय, जयपुर।
3. कोषागार अधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार, नई दिल्ली।
4. नवजोत कौर, सूचना सहायक, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर कोष एवं लेखा विभाग, नई दिल्ली में कार्यरत।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.04.2023
आदेश की दिनांक : 08.05.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सूचना सहायक के पद पर कोष एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2023 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नई दिल्ली में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो वर्ष के अल्प अवधि में कर दिया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2023 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को

सूचना सहायक के पद पर कोष एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य